

वामी अधिवक्ता का. सु. की कार्यवाही हेतु
अंतिम अवसर दिया जाता है | पत्रावली
दिनांक 24/4/26 को पेश हो |

24/4/26 पत्रावली पेश हुई | वामी अधिवक्ता
उपस्थित | वामी अधिवक्ता ने का. सु. की
कार्यवाही हेतु समझ-याह जो दिया गया
पत्रावली दिनांक 12/5/26 को पेश हो |

12/5/26 पत्रावली पेश हुई | वामी अधिवक्ता उपस्थित
लेकिन इस प्रकरण का जिक्र नहीं किया
गया | वामी अधिवक्ता को अग्रिमालम
आधिकारी की पालना नहीं की जा रही है |
इसके द्वारा केवल अग्रिमालम समझ जाया
किया जा रहा है | अतः वामी का वाम समझ
पालना में खारिज किया जाता है | पत्रावली
फैसल सुमार होकर फास्टेल पकतव
हो |